

प्रारूप – एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कोरबा
अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

क्र./11058 /क/भू-अर्जन/2017

कोरबा, दिनांक 26/08/2017

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोरबा	भैंसमा	कुदुरमाल	1.570 हे.	कुदुरमाल एनीकट योजना के बांध लाईन एवं डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 13.09.2017 को समय 11:00 बजे से स्थान २०३५ पंचायत अवन नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण

: कुदुरमाल एनीकट योजना के बांध लाईन एवं डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन

: 06

: निरंक :

: निरंक

2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या

: निरंक

3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या

: हाँ

4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिस्मृतियों की

: हाँ

अनुमानित संख्या

: 3179.12 लाख

5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिस्मृतियों की

: निरंक

अनुमानित संख्या

6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?

: हाँ

7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?

: हाँ

8. परियोजना की कुल लागत

: 3179.12 लाख

9. परियोजना से होने वाले लाभ

: निरंक

10. प्रस्तावित समाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा

: प्रस्तावित समाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं। इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा को राशि 5.00 लाख का भुगतान ड्राफ्ट क्रमांक 1512223, दिनांक 17.03.2017 के माध्यम से जमा किया गया है।

उस पर होने वाला संभावित व्यय

: निरंक

11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक

: प्रस्तावित समाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं। इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा को राशि 5.00 लाख का भुगतान ड्राफ्ट क्रमांक 1512223, दिनांक 17.03.2017 के माध्यम से जमा किया गया है।

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

(मो.कैसर अब्दुल हक)
कलेक्टर

जिला कोरबा
एवं पदेन उप सचिव

छ.ग.शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित अग्रेषित ।
3. आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव छ.ग.की ओर सूचनार्थ । कृपया इस राजपत्र भाग - 1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
5. कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा की ओर सूचनार्थ । कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र एवं स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन कराकर प्रकाशन की प्रति तत्काल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोरबा को उपलब्ध करावे ।
6. प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला कोरबा को सूचनार्थ । कृपया अधिसूचना को छ.ग.शासन राजस्व विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करें ।
7. तहसीलदार करतला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । अधिसूचना का प्रकाशन तहसील कार्यालय, अनुविभाग कार्यालय एवं नगर पालिक निगम में करवा कर रिपोर्ट भेजना एवं ग्राम में मुनादी कराना सुनिश्चित करें ।
8. सचिव, ग्राम पंचायत कुदुरमाल तहसील करतला जिला कोरबा को सूचनार्थ । उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत के सूचना पटल में चर्चा कराने एवं मुनादी कराने की व्यवस्था कर सूचित करें ।

(मो.कैसर अब्दुल हक)

कलेक्टर

जिला कोरबा

एवं पदेन उप सचिव

छ.ग.शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग